## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर नीलामी सूचना

क्रमांक एचसी / एसके / नीलामी / 2022–23 /49

दिनांक 06 12 2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, शताब्दी सर्कल, जोधपुर में लोअर ग्राउण्ड फलोर पर स्थित 6 केबिन एवं एक Canteen/Restaurant को तीन वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति पर दिए जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से बंद लिफाफे में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 07.01.2023 दोपहर 3:00 बजे तक जमा करवाये जा सकते है। नीलामी दिनांक 21.01.2023 को प्रातः 11:00 बजे माननीय उच्च न्यायालय परिसर, शताब्दी सर्कल, जोधपुर में की जायेगी। नीलामी की नियम व शर्तें, आवेदन पत्र तथा विस्तृत विवरण कार्यालय की वेबसाइट https://hcraj.nic.in/hcraj/tender.php एवं https://sppp.rajasthan.gov.in उपलब्ध है।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

राजस्थान उच्च न्यायालयं जोधपुर।

UBN is: RHC2223SSRC00026

# RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 (Store 2888385) Fax: 2888080, Email - hc-rj@nic.in, store-rhc@hcraj.nic.in

## नीलामी सूचना

क्रमांक एचसी / एसके / नीलामी / 2022-23 / 49

दिनांक 06/12/2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, शताब्दी सर्कल, जोधपुर में लोअर ग्राउण्ड फलोर पर स्थित 6 केबिन (Book Shop, Photocopier & Computer Typist, Confectionary Shop (For selling of Packed Items like Namkeen, Biscuits, Chocolates, Juice etc.), Stationary Shop-cum-Photocopier, 2 Cabin for Photocopier & Computer Typist) एवं एक Canteen/Restaurant को तीन वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति पर दिए जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से बंद लिफाफे में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

लोअर ग्राउण्ड फलोर पर स्थित 6 केबिन एवं एक Canteen/Restaurant की नीलामी दिनांक 21.01.2023 को प्रातः 11:00 बजे माननीय उच्च न्यायालय परिसर, शताब्दी सर्कल, जोधपुर में की जायेगी। केबिनों का विस्तृत विवरण, उपयोग, नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं। आवेदन—पत्र इच्छुक व्यक्ति द्वारा खजांची, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से दिनांक 08.12.2022 से दिनांक 05.01.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक रूपए 500/— का आवेदन पत्र शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 07.01.2023 दोपहर 3:00 बजे तक 'केन्द्रिय भण्डारगृह', राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में जमा करवाये जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट https://hcraj.nic.in/hcraj/tender.php एवं https://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम रूपए 500 / — का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

केबिनों की नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के 'केन्द्रीय भण्डारगृह' में दिनांक 05.01.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है । रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकता है।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।

# RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR Phone No. 0291-2888500-504 (Store 2888385) Fax: 2888080, Email – hc-rj@nic.in, store-rhc@hcraj.nic.in

का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

## आवेदन पत्र

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर केबिन को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1.	केबिन संख्या (अनुग्लंक—1 अनुसार):						
2.	प्रार्थी का नाम	<u>;</u>					
3.	पिता / पति का नाम	:					
4.	उम्र	:					
5.	पता	:					
6.	राष्ट्रीयता	:					
7.	यदि आवेदन पत्र बेव साइट से डाउन लोड किया गया डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने बैंक का नाम	है, तो					
	डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम						
	डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या						
	डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि						
8.	बोली की राशि (प्रतिमाह)	: रूपये	/— प्रतिमाह				
दिनांक सलंग्न			आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर				
नोट : 1.			क्ति को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार वेंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न				
2.			व्यक्ति को, आवेदन पत्र के साथ अपना त व्यक्ति / राजपत्रित अधिकारी के				

हस्ताक्षरशुदा जारी करवा कर संलग्न करना होगा।

# RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 (Store 2888385) Fax: 2888080, Email – hc-rj@nic.in, store-rhc@hcraj.nic.in

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में उपलब्ध केबिन को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु नीलामी की शर्ते

- केबिन जहाँ है एवं जैसा है, की स्थिति में तीन वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम किये जायेंगे।
- 2. एक व्यक्ति एक से अधिक केबिन के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन उसे हर आवेदन पत्र के साथ रूपये 500 / का आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। यदि उस व्यक्ति की बोली एकाधिक केबिन के लिये अधिकतम होती है, तो उसे किसी भी एक केबिन का चयन अंतिम आवंटन हेतु करना होगा। शेष केबिन का आवंटन द्वितीय अधिकतम बोलीदाता को किया जायेगा।
- 3. बोली लगाने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत राशि रूपये 10,000 / जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट ('रिजस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम जारी) द्वारा जमा करवाने होंगे, जो नीलामी उपरान्त नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दिये जायेंगे तथा नीलामी में सफल रहने पर अग्रिम जमानत राशि, धरोहर राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
- 4. नीलामी में सफल व्यक्ति को एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क (स्वयं के द्वारा लगाई गयी बोली की राशि) धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना होगा। उक्त राशि केबिन के पुनः उच्च न्यायालय प्रशासन को सुपुर्द करने पर बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
- 5. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे धरोहर राशि की 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। यदि बोली लगाने वाला व्यक्ति 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नहीं करवाता है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व अग्रिम जमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय अधिकतम बोलीकर्ता को संबंधित केबिन अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकेगा और उपरोक्त व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार सभी शर्तो की पालना करेगा।
- 6. धरोहर राशि की शेष 75 प्रतिशत धनराशि सफल व्यक्ति को नीलामी की दिनांक से 15 कार्य दिवस के अंदर जमा करवानी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा पहले से जमा 25 प्रतिशत राशि भी राजस्थान उच्च न्यायालय के विवेकानुसार जब्त की जा सकती है।
- 7. कोई भी अपराधिक इतिहास / अपराधिक प्रवृति रखने वाला व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता है। इस संबंध में आवेदन पत्र के साथ नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना चिरत्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति / राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा जारी करवाकर सलंग्न करना होगा तथा साथ ही पुलिस वेरिफीकेशन रिपोर्ट भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। अगर आवेदन के समय पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट उपलब्ध न हो तो आवेदन पत्र के साथ एक शपथ—पत्र देना होगा कि अगर बोलीदाता को केबिन या केन्टिन आवंटित होती है तो वह आवंटन के 15 दिवस के भीतर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत कर देगा।
- 8. अगर सफल बोलीदाता निर्धारित अविध में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसका आवटंन रद्द करते हुये धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और राजस्थान उच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय अधिकतम बोलीकर्ता को संबंधित केबिन अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकेगा और उपरोक्त व्यक्ति अपनी बोली के अनुसार सभी शर्तो की पालना करेगा।

- 9. केबिन / केंटिन का आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी सरकारी विभाग, न्यायालय, सरकारी उपक्रम, विद्यालय, अस्पताल या अन्य कोई महत्वपूर्ण स्थान पर आवेदित केबिन / केंटिन का कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण स्वरूप उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 10. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ अपना पैन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस की एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति सलंग्न करनी होगी।
- 11. उपरोक्त केबिनों को नीलामी से पूर्व कार्यालय समय में नियमानुसार टोकन / पास / अनुमित प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय में देखा जा सकता है तथा बोली लगाने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त केबिन का पूर्ण निरीक्षण कर ले।
- 12. अनुज्ञप्ति शुल्क के निर्धारण के लिए वर्ष अंग्रेजी कलेण्डर वर्ष माना जायेगा।
- 13. प्रत्येक केबिन का निर्धारित न्यूनतम मूल्य (मासिक अनुज्ञाप्ति शुल्क) अनुलग्नक 1 में केबिन की संख्या के सम्मुख अंकित किया गया है। प्रत्येक केबिन को पृथक नम्बर दिया गया हैं तथा प्रत्येक केबिन के लिए पृथक—पृथक बोली लगाई जाएगी जो बन्द लिफाफे में पेश करनी होगी। केबिन का आवंटन अधिकतम बोली दाता को किया जायेगा। केबिन विशेष हेतु एकाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली राशि समान होने पर उन सभी व्यक्तियों के मध्य खुली नीलामी के माध्यम से अधिकतम बोली लगाने वाले को केबिन आवंटन किया जायेगा।
- 14. केबिन आवंटन सर्वप्रथम तीन वर्ष के लिये किया जायेगा, जिसे नियमानुसार अधिकतम तीन माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन का होगा।
- 15. क्रम संख्या 4 में वर्णित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के अलावा केबिन लेने वाले व्यक्ति को विद्युत, इन्टरनेट एवं फोन कनेक्शन स्वयं के खर्चे पर प्राप्त करना होगा।
- 16. निम्नलिखित राशि का भुगतान वास्तविक बिल के अनुरूप करना होगा :--
  - (a.) बिजली का बिल ।
  - (b.) फोन / इन्टरनेट बिल ।
- 17. नीलामी की गई केबिन का कब्जा सफल व्यक्ति को तभी दिया जायेगा, जब उसके द्वारा समस्त शुल्कों (अग्रिम जमानत राशि, धरोहर राशि एवं आवेदन शुल्क) का पूरा भुगतान कर दिया जायेगा।
- 18. बोली में सफल व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय के साथ विधि अनुसार अनुज्ञिप्त अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- 19. जिस उद्धेश्य हेतु केबिन की नीलामी की जायेगी, वह केबिन उसी उद्धेश्य हेतु प्रयोग में लिया जायेगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं।
- 20. बोली में सफल व्यक्ति केबिन को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा।
- 21. बोली में सफल व्यक्ति केबिन में कूडादान रखेगा तथा कूडा—कचरा उसी कूडादान में एकत्रित करेगा एवँ तत्पश्चात् राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थान पर कूडा—कचरा डालेगा।
- 22. बोली में सफल व्यक्ति केबिन की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही केबिन की भौतिक स्थिति को कोई नुकसान पहुचायेगा।

- 23. केबिन में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं आवंटनकर्ता की होगी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय किसी भी दशा में चोरी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- 24. केबिन का संचालन कार्यालय समय से एक घण्टा पूर्व से लेकर एक घण्टा पश्चात तक किया जायेगा। इसके पश्चात संचालन नहीं किया जायेगा, अन्यथा यह आवंटन निरस्तीकरण का आधार बन सकता है।
- 25. सफल आवंटी केबिन में बिजली कनेक्शन ले सकेगा। यदि कोई आवंटी किसी विशेष प्रकार के बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन की पूर्वानुमित से स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबन्ध कर सकता है। समस्त विद्युत खर्च का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा। इस स्थिति में केबिन को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को हटाना होगा या ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं कारित की जायेगी, यदि कोई क्षति हो जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति को करनी होगी।
- 26. एक व्यक्ति को केवल एक ही केबिन अनुज्ञप्ति पर दिया जायेगा। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक केबिन अनुज्ञप्ति पर नहीं दिया जायेगा।
- 27. जिस व्यक्ति को केबिन अनुज्ञप्ति पर दिया जायेगा, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति को वह केबिन संचालन हेतु नहीं देगा।
- 28. केबिन का विक्रय, हस्तांतरण, उपपट्टा (सबलेट), अन्यसंक्रमण नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर आंवटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 29. माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को, बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में किसी भी केबिन का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- 30. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तो की अनुपालना नहीं की जाती है तो उच्च न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 31. राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।
- 32. उपरोक्त नीलामी की शर्तों के विषय में दोनों पक्षों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सामान्य लेखा एवं वितीय नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 अनुसार विवाद का निस्तारण किया जायेगा।
- 33. नीलामी के संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।
- 34. अन्य शर्ते इस कार्यालय द्वारा जिरये आदेश क्रमांक 14 / एस.ओ. / 2021 दिनांक 21. 12.2021 (कार्यालय की वेबसाइट उपलब्ध) जारी "GUIDELINES FOR ALLOTMENT AND USE OF BUILDING/SPACE IN COURT PREMISES FOR PUBLIC UTILITY SERVICE-2021" के उपबन्ध व संलग्न परिशिष्टों में वर्णित विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्ते लागू होगी एव अनुज्ञप्ति उक्त उपबंध व शर्तो एवं निविदा के साथ लगें अनुग्लनकों के अनुसार होगी।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

# अनुग्लंक — 1

संख्या : 06 केबिन एवं एक Canteen/Restaurant

विषय : त्रैवार्षिक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु केबिनों एवं

Canteen/Restaurant की नीलामी

नीलामी की तिथि : 21.01.2023

स्थान : राजस्थान उच्च न्यायालय, शताब्दी सर्कल के पास,

झालामण्ड, जोधपुर

दुकानों का विवरण :

S. No.	Cabin No.	Size	Minimum Monthly License Fee as per FRC	Reserve for
1	Canteen	54'6" x 22'4" (119 Sq. M.)	Rs. 21,961/-	Canteen/Restaurant
2	Cabin No. 1	19' x 7'3" (12 Sq. M.)	Rs. 2,214/-	Book Shop
3	Cabin No. 2	15'3" x 9'3" (15 Sq. M.)	Rs. 2,765/-	Photocopier & Computer Typist
4	Cabin No. 3	16'6" x 7'3" (10 Sq. M.)	Rs. 1,848/-	Confectionary Shop (For selling of Packed Items like Namkeen, Biscuits, Chocolates, Juice etc.)
5	Cabin No. 4	19' x 7'3" (12 Sq. M.)	Rs. 2,214/-	Staionary Shop-cum-Photocopier
6	Cabin No. 5	15'3" x 9'8" (15 Sq. M.)	Rs. 2,765/-	Photocopier & Computer Typist
7	Cabin No. 6	17'3" x 7'3" (10 Sq. M.)	Rs. 1,848/-	Photocopier & Computer Typist

### **General Terms and Conditions for Canteen/Confectionary Shop**

#### 1. Eligibility for running a canteen

The bidder must have an experience of running Canteen in Government Departments, Courts, Government Undertakings, Schools, Hospitals or any other important place for at least a period of 3 years.

#### 2. Price of Food Items

- (i) Before initial setup of the Canteen, the vendor shall submit the list of food items to be sold in the canteen with their quantity and proposed price for approval of Hon'ble Building Committee.
- (ii) Food Items in the canteen shall not be sold for more than the maximum retail price (MRP) or the price so approved by Hon'ble Building Committee from time to time.
- (iii) No item other than those approved by Hon'ble Building Committee shall be sold in the canteen.
- (iv) The price of various food items could be revised only after the prior approval of Hon'ble Building Committee.

#### 3. Display of Price List

The allottee shall display the price list of all the food items at a conspicuous place in the canteen.

#### 4. Quality of Food items in canteen

- (i) The allottee shall maintain all hygiene, cleanliness and quality of food stuff.
- (ii) The beverages and food-stuffs may be checked from time to time by Hon'ble Building Committee or with the help of Food Inspector of the area.
- (iii)All food safety standards under prevalent Laws, Circulars and Directions shall be followed by the allottee.

#### 5. Service Conditions of Workmen

- (i) The service conditions safety insurance etc. of the workmen employed in the Canteen shall be governed by the law for the time being in force governing such workmen failing which appropriate steps may be taken against him including termination of the agreement.
- (ii) The employees, working in the canteen shall wear uniform prescribed by respective Building Committee.

#### **6.** Furniture and other required infrastructure

Furniture and other infrastructure required for setting up and running the canteen will be arranged by the allottee.

- **7.** Agreement would be liable to be cancelled or terminated by the High Court without assigning any reasons.
- **8.** Other relevant conditions may be incorporated as per local requirements.

#### अनुग्लंक - 3

#### General Terms and Conditions for setting up Photostat machine

#### 1. Eligibility for setting up Photostat machine

The bidder must have an experience of running Photosat Machine in Government Departments, Courts, Government Undertakings, Schools, Hospitals or any other important place for at least a period of 3 years.

#### 2. Photocopy charges

The charges of Photocopies shall be as approved by the Hon'ble Building Committee from time to time.

#### 3. Timings

The timing of facilities of Photostat machine shall be one hour before and continue one hour after the office hours.

#### 4. Service Conditions of Workmen

The service conditions, safety etc. of the workmen employed to run the Photostat machine shall be governed by the law for the time being in force governing such workmen failing which appropriate steps may be taken against him including termination of the licence or agreement.

#### 5. Furniture and other required Infrastructure

The furniture and other infrastructure required for setting up and running the Photostat machine will be arranged by the Allottee.

- **6.** Agreement would be liable to be cancelled or terminated by the High court without assigning any reasons.
- 7. Other relevant conditions may be incorporated as per local requirements.

#### अनुग्लंक - 4

#### General Terms and Conditions for setting up Law Books Shop, Stationery Shop

#### 1. Eligibility for setting up Law Books Shop

The bidder must have an experience of running Law Books Shop or Stationery Shop, whichever is applicable, in Government Departments, Courts, Government Undertakings, Schools, Hospitals or any other important place for at least a period of 3 years.

#### 2. Timings

The timing during which facility of Stationery Shop and Law Books Shop shall be one hour before and continue one hour after the office hours.

#### 3. Service Conditions of Workmen

The service conditions, safety etc. of the workmen employed to run the Stationery Shop and Law Books Shop shall be governed by the law for the time being in force governing such workmen failing which appropriate steps may be taken against him including termination of the license or agreement.

#### 4. Other terms and conditions

All the terms and conditions set by the State Government for running the Stationery Shop and Law Books Shop shall also be applicable on the Stationery Shop and Law Books Shop set up in the Court Premises.

No Books other than those relating to Law and related subjects shall be sold by the Law Books Seller.

#### 5. Furniture and other required infrastructure

The furniture and other infrastructure required for setting up and running the Stationery Shop and Law Books Shop will be arranged by the Allottee.

- **8.** Agreement would be liable to be cancelled or terminated by the High court without assigning any reasons.
- **9.** Other relevant conditions may be incorporated as per local requirements.

## <u>अनुग्लंक — 5</u> Form of Agreement (on Rs. 500/- non-judicial stamp)

	I	Son/Daugher/W	ife of	aged	years,					
Reside	ent of	Tehsil		District						
	y execute this deed									
	ur, in respect of leasing									
Jodhp	ur Premises		subject to the fo	ollowing terms and	d conditions,					
which	shall be binding upon	me:-								
(1.)	That I shall be the licensee of the above building/ space for a period ofto									
(2.)		ed 1/4th of the Licer on		and	I the balance					
(3.)	That I shall keep no	livestock in the Cour	t Premises.							
(4.)	That I shall make no permanent addition or alteration of any sort to the building/ space allotted to me. The temporary structures over the allotted space will be raised by me after approval of Hon'ble Building Committee and after afflux of the licence, I shall remove the same within seven days positively.									
(5.)	That I shall afford ample protection for the approved foodstuff and other eatables.									
(6.)	That in case of a breach of any of the terms and conditions of the guidelines as well as the above cited conditions on my part, the High Court Administration may cancel the license without any further notice and that I shall not be entitled to claim a refund from the money deposited and that I shall compensate the High Court Administration for the loss suffered on account of releasing of the building/ space.									
(7.)	That on the termination of agreement by efflux of time or otherwise, I shall vacate the space forthwith and not later than 7 days failing which the possession will be taken by Hon'ble Building Committee. No further notice of ejectment will be necessary.									
(8.)	All the terms and conditions appended with NIT will be part and parcel of the agreement.									
(9.)	That it will be binding upon me to follow the rules and guidelines made for this purpose.									
In wit	ness whereof, I day of		subscribe my na	me at	this					
Witne	sses:-									
1										
2										

Signature of licensee